न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—राहुल कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 111/2020 **दायर दिनांकः 06/08/2020**

उनवान

1. पंकज कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र रामकिशन
2. ललित कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र रामकिशन
3. अशोक कुमार आयु 31 वर्ष पुत्र रामकिशन जातियान धाकड़ निवासीगण अचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन आयु 62 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति धाकड़ निवासी अचरावां तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 27/08/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 452 का ख0नं0 18/2706 का रकबा 0.04 है0 ख0न0 19/2707 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 20/2708 का रकबा 0.03 है0 ख0नं0 282 का रकबा 0.29 है0 ख0नं0 283 का रकबा 0.45 है0 की कुल किता 5 का कुल रकबा 0.82 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। व वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 448 का ख0नं0 2945/24 का रकबा 0.69 है0 की कुल किता 1 का रकबा 0.69 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। व वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 449 का ख0नं0 18/2705 का रकबा 0.10 है0 ख0नं0 25 का रकबा 1.70 है0 ख0नं0 280 का रकबा 0.09 है0 ख0नं0 281 का रकबा 0.54 है0 की कुल किता 4 का रकबा 2.43 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल [illegible] ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है जो [illegible] न0 1 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी जमनालाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता जमनालाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 452 की कुल किता 5 का रकबा 0.82 है0 हिस्सा 1/8, 1/8 बनता है। व वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 448 की कुल किता 1 का रकबा 0.69 है0 हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। जिसमें वादीगण का जन्म से से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 16.06.2020 को प्रतिवादक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/6, 1/6 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परंतु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 16.07.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल बडौरा तहसील अटरू, जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested

श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीक्रम क्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 452 की कुल किता 5 का रकबा 0.82 है0 में हिस्सा 1/8, 1/8 का व वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 448 की कुल किता 1 का रकबा 0.69 है0 में हिस्सा 1/4, 1/4 का व वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 449 की कुल किता 4 का रकबा 2.43 है0 में हिस्सा 1/4, 1/4 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल बडौरा की खाता संख्या 452 की कुल किता 5 का कुल रकबा 0.82 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/8, 1/8 बनता है। व खाता संख्या 448 की कुल किता 1 का रकबा 0.69 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। व खाता संख्या 449 की कुल किता 4 का रकबा 2.43 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है। उक्त आराजी प्रतिवादी कम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। ग्राम व माल बडौरा की खाता संख्या 452 की कुल किता 5 की 0.82 है0 आराजी में हिस्सा 1/8, 1/8 व खाता स[illegible] की कुल किता 1 की 0.69

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested

है0 आराजी में हिस्सा 1/4, 1/4 व खाता संख्या 449 की कुल किता 4 की 2,43 है0 आराजी में हिस्सा 1/4, 1/4 का वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। उपरोक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो निम्न प्रकार है। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का हकत्याग अपने तीनों पुत्र वादी क्रम 1 पंकज कुमार 2 ललित कुमार 3 अशोक कुमार के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए कर दिया है। इसलिए ग्राम माल बडौरा की खाता संख्या 452 की कुल किता 5 की 0.82 है0 आराजी में हिस्सा 1/6, 1/6 का व खाता संख्या 448 की कुल किता 1 की 0.69 है0 आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3 का व खाता संख्या 449 की 2.43 है0 आराजी में हिस्सा 1/3, 1/3 का वादीगण 1 लगायत 3 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामें अनुसार वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री चन्दालाल नागर एड0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 452 की कुल किता 5 रकबा 0.82 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। ग्राम बडौरा की खाता संख्या 448 किता 1 रकबा 0.69 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। ग्राम बडौरा की खाता 449 किता 4 रकबा 2.43 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात पैत्रक सम्पत्ति है। जो पूर्व में वादीगण के दादाजी के खाते दर्ज थी ग्राम पंचायत शेरगढ़ प्रमाण पत्र अनुसार वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्तानें है। व उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 452 की किता 5 का रकबा 0.82 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/8,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested

1/8 हिस्से का व ग्राम बडौरा की खाता संख्या 448 की किता 1 रकबा 0.69 है0 में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को हिस्सा 1/4, 1/4 व खाता संख्या 449 किता 4 का रकबा 2.43 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी कम 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने तानों पुत्रों के हक में हकत्याग कर दिया गया है।

अतः ग्राम बडौरा की खाता संख्या 452 किता 5 रकबा 0.82 है0 में वादीगण 1 ल 3 का हिस्सा 1/6, 1/6, 1/6 व ग्राम बडौरा की खाता संख्या 448 किता 1 रकबा 0.69 है0 में वादीगण कम 1 ल 3 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 व ग्राम बडौरा की खाता संख्या 449 रकबा 2.43 है0 रहन क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक कटावर में वादीगण कम 1 ल 3 का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा करने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 13:14:01 IST
Reason: SelfAttested